न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-91/2008

किशनाराम उर्फ किशना (मृत)
1/1- केशर बेवा किशना -- नाम हजफ (मृत)
1/2- भगवाना पुत्र किशना (मृत)
1/2/1-गिरधारी पुत्र भगवाना
1/2/2-बिला पुत्री भगवाना
1/2/3-छोटी पुत्री भगवाना
1/2/4-सरिता पुत्री भगवाना
1/2/5-सन्तोष पुत्री भगवाना
1/3- अर्जुनराम पुत्र चिमना

जाति जाट निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- मोहनराम (मोहना) पुत्र नोपाराम (नोपा) --मृत
2- सुल्तानसिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर ।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर ।
4- तीजूदेवी पत्नी स्व0 दल्लाराम जाति जाट निवासी किरडोली जिला सीकर ।
5- सरोज पत्नी रिछपाल
6- मन्जु पत्नी रामलाल

जाति जाट निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-5-2008 द्वारा उप खण्ड अधिकारी सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री लक्ष्मणसिंह तूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 19.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा उद्घोषणा बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 की वंशावली इस प्रकार हैं कि डेडाराम के चार पुत्र नोपाराम, सुखदेवाराम, डालाराम व नारायण हुये जिसमें डालाराम लावारिस फौत हो गया। नोपाराम के मोहन सुखदेवाराम के किशना एवं नारायण के सल्तान हुये। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 डेडाराम के वारिसान हैं। ग्राम किरडोली में आराजी खसरा नं0 223 रकबा 3.08 हैक्टर, ख0नं0 274 रकबा 1.62 हैक्टर, ख0नं0 283 रकबा 1.63 हैक्टर, ख0नं0 473 रकबा 2.31 हैक्टर, ख0नं0 841 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता-5 रकबा 8.79 हैक्टर तथा खसरा नं0 1050 रकबा 5.12 हैक्टर अवस्थित है। ख0नं0 1050 में से 12 बीघा भूमि वादी सं0-2 की स्वअर्जित भूमि है तथा शेष रकबा 9 बीघा। बिस्वा एवं ख0नं0 223, 274, 283, 473, 841 वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 की पैत्रिक भूमियां है जिसमें वादीगण एवं प्रति--वादी संख्या-1 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा है। जिसमें वादी सं0-1 मोहन के हिस्से में ख0नं0 283 रकबा 1.63 हैक्टर, ख0नं0 473 रकबा 2.31 हैक्टर वादी संख्या-2 सुल्तान के हिस्से में ख0नं0 274 रकबा 1.62 हैक्टर, ख0नं0 1050 रकबा 5.12 हैक्टर में से 12 बीघा स्वअर्जित शेष बाहमी बंटवारा में आयी तथा प्रतिवादी किसना के हिस्से में ख0नं0 223 रकबा 3.08 हैक्टर भूमि आई। इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 के संयुक्त हिस्से में ख0नं0 841 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि आई हुई है मौके पर मुताबिक बाहमी बंटवारा सींव नींव अलग अलग कायम हैं। किन्तु वादीगण ने अपने हिस्से में आई भूमियों को अच्छी तरह से खाद डालकर उपजाऊ कर रखा जिससे प्रतिवादी संख्या-1 के मन में बेईमानी आ गई जिससे प्रतिवादी ने वादीगण को धमकी दी जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः वादीगण को उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अदालत मातहत ने बाद सनवाई तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा

डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर मौजूद रेकार्ड एवं तथ्यों के विपरित है ।अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया । तथा ना ही अपीलान्ट की साक्ष्य को रेकार्ड पर लिया ।अदालत मातहत का आदेश मौके के विपरित एवं रेकार्ड के विपरित पारित किया है । राजस्व रेकार्ड के अनुसार खसरा नं0 1050 रकबा 5.12 हैक्टर में से 12 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट सं0-2 सुल्तान का हिस्सा मूल रकबे में से कम करने के पश्चात अपीलान्ट का का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा है जिस पर मौके पर अपीलान्ट काबिज है । किन्तु अदालत मातहत ने मौके के विपरित उक्त भूमि ख0नं0 1050 अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के नाम दर्ज करने के आदेश मौके के विपरित पारित किये हैं । ख0नं0 841 में अपीलांट का 1/3 हिस्सा पूर्व से है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 मोहन का 1/3 हिस्सा आपसी लिखावट के द्वारा क्रय कर लिया। इस प्रकार ख0नं0 841 में अपीलांट का 2/3 हिस्सा है तथा 2/3 हिस्से पर ही अपीलान्ट काबिज है ।विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरित पारित किये हैं ।तथा अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस मे अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न देकर आदेश पारित किया गया है । विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरित तैयार किये गये हैं । ख0नं0 1050 रकबा 5.12 हैक्टर में से 12 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट सं0-2 के हिस्से में से कम करने पर उसके बाद उक्त खसरा नं0 1050 में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है । अदालत मातहत ने ख0नं0 1050 को रेस्पोडेन्ट संख्या-2 को मौके के विपरित दिया है । ख0नं0 841 में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है तथा अपीलान्ट ने 1/3 हिस्सा जो मोहन का था उसे आपसी लिखावट के आधार पर क्रय कर अपीलान्ट काबिज है । इस प्रकार ख0नं0 841 में अपीलान्ट 2/3 हिस्से पर काबिज है । इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरित भिजवाये गये हैं । जिसमें अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी । मौके के विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तैयार किये गये है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक बताया है । अपीलान्ट को अदालत मातहत में नोटिस भेजे गये। नोटिस अपीलान्ट को व्यक्तिशः प्राप्त हुये। अपीलान्ट अदालत मातहत में जानबुझकर हाजिर नहीं हुआ । मौके के विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को उसका हिस्सा पूरा दिया है तथा मौके पर हिस्सेनुसार बंटवारा किया गया है अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी शुरू से रही है । अपीलान्ट अदालत मातहत में बावजूद सूचना हाजिर नही हुआ । अपीलान्ट की अपील मियाद के बाहर पेश है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0 2062 से 2065 में खसरा नं0 223, 274, 283, 473, 841 कुल किता-5 रकबा 8.79 हैक्टर की खातेदारी सुलतानसिंह पुत्र नारायण हि0 1/3, किशाना पुत्र सुखदेव हि0 1/3 मोहन पुत्र नोपा हि0 1/3 के नाम से दर्ज है । प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2062 से 2065 में खसरा नं0 1050 रकबा 5.12 हैक्टर की खातेदारी सुलतानसिंह पुत्र नारायण हि0 12 बीघा, मोहनराम पुत्र नोपाराम हि0 1/3 किशानाराम पुत्र सुखदेवाराम हि0 1/3 सुलतानसिंह पुत्र नारायण हि0 1/3 दर हि0 9 बीघा । बिस्वा के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-3 नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत में प्रतिवादीगण/अपीलान्ट को सुनवाई एवं जबाबदेही का समुचित अवसर दिया गया है ।प्रतिवादी/अपीलान्ट अदालत मातहत में जरिये वकील दिनांक 11-8-2006 को उपस्थित आये । इसके बाद लगातार अपीलान्ट को जबाब देही का अवसर लगभग 11 माह तक दिया गया किन्तु अपीलान्ट ने कोई जबाब पेश नहीं किया तब अदालत मातहत ने जबाब दावा बन्द किया है।इतना ही नहीं जबाब दावा बन्द किये जाने के बाद प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अदालत मातहत ने समुचित अवसर दिया। किन्तु अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की ।अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दावे में बहस के लिये भी लगभग 12 अवसर दिये गये हैं ।उसके बाद उभयपक्षों की बहस सुनकर प्राथमिक डिक्री जारी की है । जिस पर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षो के विद्वान अभिभाषकगणों को सुना जाकर दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया गया। बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रेकार्ड किया गया । जिसके आधार पर नामा0सं0 872 से अमलदरामद हो गया। नामान्तरकरण सं0-1147 किशानाराम के फौत होने पर भगवानाराम अर्जुनलाल पि0 किशानाराम सोहनीदेवी, रतनीदेवी पुत्रियाँ किशना राम के नाम से स्वीकृत किया गया है जिसमें ख0नं0 223 रकबा 3.08 हैक्टर का स्वीकृत है ।जो बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री के अनुसार है ।जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सं0- 2066 से 2069 में अमलदरामद भी किया जा चुकाहै ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर आरआरडी 2013 पेज-177, 309 एवं आर आरडी 1990 पेज 548 पेश की उनके तथ्य भिन्न है जो प्रकरण पर चस्पा नहीं है ।अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की है। इस कारण प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2006-07 पेज-114 आरआरटी 2014(1) पेज 397 में स्पष्ट किया गया है कि जब प्राथमिक डिक्री की कोई अपील नहीं की है तो अन्तिम डिक्री की अपील करने का अधिकार नहीं अर्थात अन्तिक डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है ।इस बिन्दू से न्यायालय सहमत है। तथा अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानता ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-5-2008 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.4.2018 को सुनाया गया ।

19/4/18

(शंकरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर0ए0एस0

किशनाराम उर्फ किशना(मृत) जाति जाट निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर आदि-(मृतक)

--अपीलान्टस--

--बनाम--

1- मोहनराम(मोहना पुत्र नोपाराम(नोपा)--- मृत --रेस्पोडेन्टस--

नोट- उनवान संलग्न है ।

अपील नम्बर 91 सन् 2008 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी सीकर

मुकाम - दिनांक 12 माह 5 सन् 2008

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 19-4-2018 हब्स हमारे व हाजिर श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा .... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री प्रभातीलाल .... मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-5-2008 को यथावत रखा जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ....xxx.................. रुपये अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का ......xxx.............. रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 19-4-2018 को जारी की गई।

दस्तखत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
ओहदा - पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	